दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)

(ऊर्जा भवन, 220 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र सिकन्दरा, बाई पास रोड, आगरा-282007)

CIN: U31200UP2003SGC027460 **GSTIN: 09AACCD0695D1ZS**

पत्रांक :5388 / द0वि0वि0नि0लि0 / आगरा / जीएसटी दिनांक22/09/2017

विषय :– जी0एस0टी0 लागू होने से पूर्व आमंत्रित की गयी सिविल कार्यो की निविदा निस्तारण हेतु एवं पूर्व में सम्पादित आपूर्ति एवं टर्नकी आधार पर किये गये अनुबन्धों पर जी0एस0टी0 से सम्बन्धित दिशा–निर्देश।

मुख्य अभियन्ता (वि0) / (सामग्री प्रबन्ध–1 / सामग्री प्रबन्ध–2) (तकनीकि) / (वाणिज्य) / (जानपद), दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, आगरा / अलीगढ़ / कानपुर / झाँसी / बाँदा।

//

अधीक्षण अभियन्ता (भण्डार) / अधिशासी अभियन्ता (विद्युत भण्डार खण्ड) दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, आगरा / अलीगढ़ / कानपुर / झाँसी / बांदा।

कृपया उपरोक्त विषयक उप महाप्रबन्धक, कारपोरेट टैक्स, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ के पत्रांक 04 / उ0म0प्र0(टैक्स) / जी0एस0टी0 सैल / 2017–18 दिनांक 13.09.2017 **(छायाप्रति संलग्न)** का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से जी0एस0टी0 लागू होने से पूर्व आमंत्रित की गयी सिविल कार्यो की निविदा निस्तारण हेतु एवं पूर्व में सम्पादित आपूर्ति एवं टर्नकी आधार पर किये गये अनुबन्धों पर जी0एस0टी0 से सम्बन्धित दिशा–निर्देश दिये गये हैं उक्त दिशा–निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक : यथोपरि।

(के0सी0 पाण्डेय)
निदेशक (वित्त)

पत्रांक 5388 / द0वि0वि0नि0लि0 / आगरा / जीएसटी दिनांक22/09/2017

प्रतिलिपि निम्नलिखित को उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निदेशक (तकनीकी / वाणिज्य / का0प्र0 एवं प्रशा0), द0वि0वि0नि0लि0, आगरा।
2. उप महाप्रबन्धक (लेखा) / उपमुख्य लेखाधिकारी, क्षेत्रीय लेखा कार्यालय, द0वि0वि0नि0लि0, आगरा / अलीगढ़ / कानपुर / झांसी।
3. समस्त अधीक्षण अभियन्ता / अधिशासी अभियन्ता, द0वि0वि0नि0लि0।

संलग्नक : यथोपरि।

(के0सी0 पाण्डेय)
निदेशक (वित्त)

GSTIN : 09AACU5088M4ZM

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

CIN: U32201UP1999SGC024928

कारपोरेट टैक्स (जी0एस0टी0 सैल) **Corporate Tax (GST CELL)**

द्वितीय तल, शक्ति भवन विस्तार, 14–अशोक मार्ग, लखनऊ–226001, रैक्स– 8270, 8257
IInd Floor, Shakti Bhawan Ext., 14-Ashok Marg, Lucknow-226001, E-mail - dgmtaxuppcl@gmail.com

पत्र सं0: 04/उ0म0प्र0(टैक्स)/जी0एस0टी0 सैल/2017–18 दिनांक: **13.09.2017**

समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी
उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0

विषयः जी0एस0टी0 लागू होने से पूर्व आमंत्रित की गयी सिविल कार्यों की निविदा निस्तारण हेतु एवं पूर्व में सम्पादित आपूर्ति एवं टर्नकी आधार पर किये गये अनुबन्धों पर जी0एस0टी0 से सम्बन्धित दिशा–निर्देश।

1. जी0एस0टी0 लागू होने से पूर्व आमंत्रित की गयी सिविल कार्यों की निविदा निस्तारण के सम्बन्ध में।

जैसा कि विदित है कि 01.07.2017 से जी0एस0टी0 लागू हो गया है एवं पूर्व में लागू समस्त कर (Excise Duty, CST, VAT, Purchase Tax & Entry Tax) समाप्त कर केवल जी0एस0टी0 का प्रावधान किया गया है।

सिविल कार्यों हेतु शिड्यूल ऑफ रेट (SOR) मण्डल स्तर पर बनाये जाते है जिसमें सीमेन्ट, स्टील, ईंट, गिट्टी, बालू इत्यादि में सभी कर शामिल होते है जिसके आधार पर अनुमानित लागत सूचित करते हुए निविदाए आमंत्रित की जाती है। जी0एस0टी0 01.07.2017 से लागू होने के कारण पूर्व में आमंत्रित निविदाओं का निस्तारण नहीं हो पा रहा है। निविदाओं का निस्तारण करने हेतु यह आवश्यक है कि शिड्यूल ऑफ रेट में पूर्व में लागू करों को डी–लोड (रिवर्स कैल्कुलेशन) करते हुए दरों को कर–रहित कर लिया जाये। कर रहित दरों पर अलग से जी0एस0टी0 दिया जायें।

उदाहरण के तौर पर जी0एस0टी0 लागू होने से पूर्व किसी वस्तु का शिड्यूल रेट (SOR) 100 रू0 था एवं वैट रेट 04% एवं Excise Duty 12.5%, जी0एस0टी0 लागू होने के पश्चात् निम्नलिखित अनुसार उस वस्तु का नया शिड्यूल रेट निकाला जा सकता है :–

Schedule Rate		₹ 100.00
Less VAT @ 4%	$\frac{100}{104} X 4$	₹ 3.85
		₹ 96.15
Less Excise @ 12.5%	$\frac{96.15}{112.50} X 12.5$	₹ 10.68
Base Price		₹ 85.47
Add GST @ 18%		₹ 15.38
Revised Schedule Rate		₹ 100.85

इस प्रकार शिड्यूल ऑफ रेट (SOR) को संशोधित करते हुए कर–रहित संशोधित शिड्यूल ऑफ रेट तैयार करते हुए निविदाओं का निस्तारण किया जा सकता है।

जी0एस0टी0 रजिस्टर्ड निविदादाताओं से ही संव्यवहार किया जायें। भविष्य में आमंत्रित की जाने वाली निविदाओं में दरें जी0एस0टी0 रहित प्राप्त की जाये एवं उस पर तत्समय लागू दर से जी0एस0टी0 का भुगतान किया जायें।

2. Supply from SEZ/Excise exempted zones-

पूर्व में कुछ दूरस्थ भौगोलिक क्षेत्रों जैसे उत्तरांचल, दादर नगर हवेली आदि स्थित फर्मों के लिए एक्साइज ड्यूटी, सेल्सटैक्स पर छूट का प्रावधान था। ई0डी0 एवं सेल्सटैक्स छूट के कारण इन स्थानों पर स्थित फर्मों द्वारा अधिक एक्सवर्कस दरें देने के पश्चात् भी Total FOR दरें (टैक्स एवं ड्यूटी सहित) कम प्राप्त होती थी, परन्तु जी0एस0टी0 की दरें समान होने के कारण इन अनुबन्धों पर उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 को अतिरिक्त व्यय करना पड़ेगा।

इन भौगोलिक क्षेत्रों में स्थित फर्में अधिक एक्सवर्कस दरें उद्धत करने के पश्चात् भी एक्साइज ड्यूटी व सेल्सटैक्स की छूट के कारण न्यूनतम निविदादाता रहते थे परन्तु यदि इन फर्मों की अनुबन्धित एक्सवर्कस दरों पर जी0एस0टी0 दिया जाता है तो निगम के ऊपर अधिक भार आएगा। अतः यह सुझाव दिया जाता है कि ऐसी फर्मों को यह आफर दिया जाए कि वे पूर्व में लागू For Destination Price की दर जिसमें जी0एस0टी0 सम्मिलित है, मानते हुए स्वीकार कर ले। अन्यथा की स्थिति में इस प्रकार के अनुबन्धों को शार्ट क्लोज करना प्रस्तावित है।

13/9/17

(प्रभात कुमार गुप्ता)
उप महाप्रबन्धक
(कारपोरेट टैक्स)

पत्र सं0: 04 / उ0म0प्र0(टैक्स) / जी0एस0टी0 सैल / 2017–18 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1– निदेशक (वित्त), मध्यांचल / पूर्वांचल / पश्चिमांचल / दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0 / केस्को लखनऊ / वाराणसी / मेरठ / आगरा / कानपुर को इस अनुरोध के साथ कि उपरोक्त दिशा–निर्देशों के आधार पर सम्बन्धित निगमों में लागू किये जाने हेतु सम्बन्धित कम्पनी द्वारा पृथक से दिशा–निर्देश जारी किये जायेंगे।

2– मुख्य महाप्रबन्धक (वित्त एवं लेखा), उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन लखनऊ।

3– उप महाप्रबन्धक (सामग्री प्रबन्ध), परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय, महानगर लखनऊ।

4– उप महाप्रबन्धक (लेखा) / उप महाप्रबन्धक (निधि), उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन लखनऊ।

5– उप निदेशक, विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, सरोजनी नगर, लखनऊ।

6– अनु सचिव (स0 प्र0 लेखा), उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।

7– अधिशाषी अभियन्ता, वेबसाइट, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, रूम नं0 409, चतुर्थ तल शक्ति भवन को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

13/9/17

(प्रभात कुमार गुप्ता)
उप महाप्रबन्धक
(कारपोरेट टैक्स)